न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालाघाट (म0प्र0)

–:: ज्ञापन ::–

कमांक–301/ 2026 दिनांक 28.04.2026

प्रति,

समस्त,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील
मुख्यालय वारासिवनी, बैहर, कटंगी, लांजी,
जिला बालाघाट (म0प्र0)।

विषयः– दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026 के संबंध में।

संदर्भः– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट के कार्यालयीन ज्ञापन कमांक–953/I–10–5/1985, बालाघाट दिनांक 28.04.2026 के परिप्रेक्ष्य में।

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दाण्डिक मूल कार्य–विभाजन पत्रक वर्ष 2026 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट के कार्यालयीन ज्ञापन कमांक–953/I–10–5/1985, बालाघाट दिनांक 28.04.2026 के माध्यम से अनुमोदन पश्चात् प्राप्त हुआ।

अतः मूल कार्य–विभाजन पत्रक वर्ष 2026 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात् प्राप्त होने के उपरांत ई–मेल एवं व्हाट्स–ॲप के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है जो **दिनांक 29.04.2026 से प्रभावशील माना जावेगा।**

28/4/2026
(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालाघाट(म0प्र0)

संलग्न :–दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026

प्रतिलिपि :–
1–स्टेनो–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट,
2–स्टेनो–पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट की ओर समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
3–अध्यक्ष–अधिवक्ता संघ बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, बैहर एवं लांजी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4–कम्प्युटर अनुभाग, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, बैहर एवं लांजी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

28/4/2026
(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट
जिला बालाघाट (म0प्र0)

आदेश वर्ष कार्य विभाजन पत्रक–2026

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन बालाघाट जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य निर्वहन हेतु पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए निम्न कार्य विभाजन आदेश प्रसारित किया जाता है, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरान्त, अनुमोदन तिथि से प्रभावशील होगा :–

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**
01	मनीष कुमार सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट।	<u>**आरक्षी केन्द्र**</u> **कोतवाली बालाघाट, भरवेली, तथा यातायात।** **आबकारी वृत्त बालाघाट** **जल–वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम**	**-----A-----** 1–आरक्षी केन्द्र कोतवाली, एवं भरवेली के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों एवं थाना भरवेली की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 2–आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं भरवेली की सीमा क्षेत्र से उद्भुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3–आबकारी वृत्त बालाघाट द्वारा की गई कार्यवाहियों से उत्पन्न आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4–यातायात थाना बालाघाट द्वारा प्रस्तुत होने वाले समस्त परिवाद। 5–आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं भरवेली के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 6–आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं भरवेली के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधि0, 1957 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण। 7–माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 8–जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत जल (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से संबंधित प्रकरण।	
		सम्पूर्ण जिला बालाघाट	**-----B-----** 1–मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952. 2–औषधि (नियंत्रण) अधिनियम 1950. 3–पासपोर्ट अधिनियम 1967. 4–बालक श्रम(प्रतिषेध और विनियमन)अधि0 1986. 5–म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि0, 1958. 6–भारतीय कारखाना अधिनियम 1948. 7–खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एवं नियम की धारा 59, 60, 61, 62, 63 के	

		नगर पालिका अधिनियम क्षेत्र, बालाघाट	प्रकरण। 8–गव्हरमेंट रेल्वे पुलिस चौकी बालाघाट से उत्पन्न बालाघाट जिले के अभियोग पत्र (रेल्वे मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)। 9–ऐसे अन्य सभी प्रकरण जो कि विशेष अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है। 10–जिला बालाघाट के क्षेत्रांतर्गत सम्पूर्ण आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत खारिजी प्रकरण। 11–मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका बालाघाट द्वारा प्रस्तुत आपराधिक मामले।	
02	श्री नीरज कुमार सोनी न्या.मजि.प्र.श्रेणी बालाघाट।	**<u>आरक्षी केन्द्र</u> किरनापुर** **वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम** **खान खनिज अधिनियम** **आवश्यक वस्तु अधिनियम**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र किरनापुर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र. श्रेणी द्वारा विचारणीय हो तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग–1, 2 व 3 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 3–आरक्षी केन्द्र किरनापुर के क्षेत्राधिकार से उद्भुत आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र किरनापुर के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र किरनापुर के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण। 6–जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बालाघाट, वन परिक्षेत्र किरनापुर, वन परिक्षेत्र उत्तर/दक्षिण लामता (सामान्य) एवं वन विकास निगम प्रोजेक्ट डिवीजन की सीमांतर्गत उत्पन्न वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 7–जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं खान–खनिज विभाग के क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न खान–खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 8–जिला मुख्यालय बालाघाट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण।	
03	श्री सौरभ गोस्वामी, न्या0मजि0प्र0श्रेणी बालाघाट	**आरक्षी केन्द्र लामता**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र लामता के सीमा क्षेत्र से	

			उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र. श्रेणी के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनूसूची के भाग 01, 02 एवं 03 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 3–आरक्षी केन्द्र लामता की सीमा क्षेत्र से उद्भुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र लामता के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र लामता के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधि0, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधि0, 2000 से संबंधित प्रकरण।	
04	सुश्री शालिनी भण्डारी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बालाघाट।	**<u>आरक्षी केन्द्र</u> महिला थाना बालाघाट एवं महिला बोर्ड बालाघाट**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र महिला थाना बालाघाट से उत्पन्न होने वाले **(ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनूसूची के भाग 01, 02 एवं 03 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 3–जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से महिलाओं के विरूद्ध उदभुत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद जो न्या.मजि.प्र.श्रेणी द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण, **जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनूसूची के भाग 01, 02 एवं 03 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो** को छोड़कर। 4–तहसील लामता एवं किरनापुर के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र एवं उनकी पुलिस चौकी से उद्भुत होने वाले धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. 2023) के अंतर्गत समस्त भरण–पोषण संबंधी प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र महिला थाना बालाघाट की सीमा क्षेत्र से उद्भुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6–आरक्षी केन्द्र महिला थाना बालाघाट के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 7–आरक्षी केन्द्र महिला थाना बालाघाट के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले समस्त प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम,1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।	

05	श्री राज पाण्डेय, न्या0मजि0प्र0श्रेणी बालाघाट	**आरक्षी केन्द्र हट्टा**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र हट्टा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र. श्रेणी के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनूसूची के भाग 01, 02 एवं 03 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 3–आरक्षी केन्द्र हट्टा की सीमा क्षेत्र से उद्भुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र हट्टा के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र हट्टा के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले समस्त प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।	
06	श्री अविनाश छारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालाघाट	**<u>आरक्षी केन्द्र</u> ग्रामीण नवेगांव**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनुसूची के भाग–1, 2 व 3 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 3–आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी. पी.एस. (अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र ग्रामीण नवेगांव के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले समस्त प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम,2000 से संबंधित प्रकरण। 6–आरक्षी केन्द्र भरवेली, लामता, चांगोटोला ग्रामीण नवेगांव एवं हट्टा के ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की पहली अनुसूची के भाग–1, 2 व 3 में वर्णित समस्त प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो।	

07	श्री ईशान ढेंगुला, न्या0मजि0प्र0श्रेणी बालाघाट	**आरक्षी केन्द्र चांगोटोला**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र चांगोटोला के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण, जो न्या.मजि.प्र. श्रेणी के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की पहली अनूसूची के भाग 01, 02 एवं 03 में वर्णित प्रकरण जो ग्राम न्यायालय में पेश किये जाने वाले हो, को छोड़कर)** समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत पेश होने वाले परिवाद। 3–आरक्षी केन्द्र चांगोटोला की सीमा क्षेत्र से उद्भुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र चांगोटोला के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस. (अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र चांगोटोला के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।	
08	सुश्री निहारिका व्यास, न्या0मजि0प्र0श्रेणी बालाघाट		1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र कोत0 बालाघाट एवं भरवेली की सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले निजी परिवाद **(धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)** पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 175(3) भा.ना.सु.सं., 2023 (156(3) द.प्र.सं.) के प्रकरण।	
–:: तहसील न्यायालय वारासिवनी ::–				
01	श्रीमती दिव्या सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी	**आरक्षी केन्द्र वारासिवनी** **आबकारी वृत्त वारासिवनी** **आवश्यक वस्तु अधिनियम** **नगरपालिका अधिनियम वारासिवनी** **वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम** **खान–खनिज अधिनियम**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र वारासिवनी **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि.2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण। 3–आरक्षी केन्द्र वारासिवनी की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भुत धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र वारासिवनी एवं आबकारी वृत्त वारासिवनी की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के क्षेत्राधिकार से	

		जल–वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 6–आरक्षी केन्द्र वारासिवनी के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण। 7–तहसील वारासिवनी से उद्भुत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 8–मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत नगरपालिका वारासिवनी के द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण। 9–तहसील मुख्यालय वारासिवनी के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त वन परिक्षेत्र वारासिवनी, लालबर्रा, खैरलांजी एवं रामपायली के अंतर्गत उत्पन्न वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। 10–तहसील मुख्यालय वारासिवनी के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं खान–खनिज विभाग के क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न खान–खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 11–तहसील मुख्यालय वारासिवनी के अंतर्गत जल (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से संबंधित प्रकरण।	
02	श्री ऋषभ डॉनल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।	**आरक्षी केन्द्र लालबर्रा**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र लालबर्रा **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि.2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोडकर)** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण। 3–आरक्षी केन्द्र लालबर्रा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र लालबर्रा के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र लालबर्रा के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।	
03	श्रीमती अंकिता जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।	**आरक्षी केन्द्र रामपायली,**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र रामपायली **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि.2005 के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर)** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परक्राम्य	

			लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण। 3–आरक्षी केन्द्र रामपायली एवं लालबर्रा की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भुत धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र रामपायली की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र रामपायली के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 6–आरक्षी केन्द्र रामपायली के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।	
04	सुश्री नेहा बाथरी, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, वारासिवनी।	**आरक्षी केन्द्र खैरलांजी** **महिला बोर्ड वारासिवनी**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–तहसील न्यायालय वारासिवनी की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत महिलाओं के विरूद्ध उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण। 3–आरक्षी केन्द्र खैरलांजी की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा प्रकरण एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र खैरलांजी की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भुत धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र खैरलांजी की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6–आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 7–आरक्षी केन्द्र खैरलांजी के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।	
05	श्री नयन जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वारासिवनी।		1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालाघाट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।	
–:: तहसील न्यायालय बैहर ::–				
01	श्रीमती शिवानी असाटी न्या0मजि0प्र0 श्रेणी, बैहर।	**<u>आरक्षी केन्द्र</u> बैहर, मलाजखण्ड,**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र **बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा**	

		बिरसा एवं महिला बोर्ड बैहर **<u>आबकारी वृत्त बैहर</u> (पूर्व एवं पश्चिम)** **नगर पालिका अधिनियम** **वन विधि व वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम** **खान–खनिज अधिनियम** **आवश्यक वस्तु अधिनियम** **जल–वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम**	के समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण तथा धारा 138 निगो. इन्स्ट्रू. एक्ट के परिवाद प्रकरण। 3–आबकारी वृत्त **बैहर** (पूर्व/पश्चिम) एवं आरक्षी केन्द्र **बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा** में दर्ज होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र बैहर, मलाजखंड एवं बिरसा के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण। 6–मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के तहत नगर पंचायत बैहर तथा नगर पालिका मलाजखंड द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण। 7–तहसील न्यायालय बैहर के अंतर्गत आने वाले समस्त वन परिक्षेत्र, कान्हा नेशनल पार्क कोर एरिया से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। 8–तहसील न्यायालय **बैहर** के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रों** से उद्भुत होने वाले वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद। 9–तहसील **बैहर** से उद्भुत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 10–तहसील न्यायालय बैहर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले प्रकरण एवं परिवाद जो न्या.मजि.प्र.श्रे. के द्वारा विचारणीय हो तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. **(धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण।** 11–तहसील मुख्यालय बैहर के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं खान–खनिज विभाग के क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न खान–खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 12–तहसील मुख्यालय बैहर के अंतर्गत जल (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से संबंधित प्रकरण।	
02	श्री संजय शाक्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर।	**<u>आरक्षी केन्द्र</u> परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र **परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी** के सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा **138** निगो.ईस्ट्रू. एक्ट के तहत उत्पन्न परिवाद प्रकरण। 3–आरक्षी केन्द्र **परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी** में दर्ज आबकारी अधिनियम से संबंधित	

			प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी. पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 5–आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण।	
–:: तहसील न्यायालय कटंगी ::–				
01	श्री शबाना खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी।	**आरक्षी केन्द्र कटंगी तिरोड़ी एवं महिला बोर्ड कटंगी** **नगरपालिका अधिनियम क्षेत्र तिरोड़ी,** **वन–विधि एवं एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम** **खान–खनिज अधिनियम क्षेत्र के प्रकरण** **<u>आबकारी वृत्त</u> कटंगी** **नगरपालिका अधिनियम क्षेत्र कटंगी** **आवश्यक वस्तु अधिनियम** **जल–वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र कटंगी एवं तिरोड़ी की सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 निगो.इस्ट्रू.एक्ट के परिवाद प्रकरण। 3–आरक्षी केन्द्र कटंगी एवं तिरोड़ी के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी. पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र कटंगी एवं तिरोड़ी के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, से संबंधित प्रकरण। 5–आबकारी वृत्त कटंगी एवं आरक्षी केन्द्र कटंगी एवं तिरोड़ी के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 6–मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका/पंचायत कटंगी एवं तिरोड़ी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण। 7–तहसील कटंगी के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत महिलाओं के विरूद्ध उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद, जो न्या.मजि.प्र.श्रे. द्वारा विचारणीय हो एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समस्त प्रकरण तथा धारा 125 लगायत 128 द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण। 8–तहसील न्यायालय कटंगी के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं वन–परिक्षेत्र से उद्भुत होने वाले वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद। 9–तहसील न्यायालय कटंगी से उद्भुत होनें वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 10–तहसील मुख्यालय कटंगी के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं खान–खनिज विभाग के क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न खान–खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 11–तहसील मुख्यालय कटंगी के अंतर्गत जल (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से संबंधित प्रकरण।	

–:: तहसील न्यायालय लांजी ::–				
01	श्री प्रीतम शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लांजी।	**<u>आरक्षी केन्द्र</u> लांजी एवं बहेला** **महिला बोर्ड** **नगर पालिका अधिनियम** **आबकारी वृत्त लांजी** **वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम** **खान–खनिज अधिनियम** **आवश्यक वस्तु अधिनियम** **जल–वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम**	1–माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण। 2–आरक्षी केन्द्र **लांजी एवं बहेला** के सीमांतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा, निजी परिवाद पर कायम होने वाले आपराधिक प्रकरण व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकरण तथा धारा **138** परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद तथा धारा **125** लगायत **128** द.प्र.सं. (धारा 144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं.2023) के अंतर्गत भरण–पोषण संबंधी प्रकरण। 3–आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले एन.डी.पी.एस.(अल्प–मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 4–आरक्षी केन्द्र लांजी एवं बहेला के क्षेत्राधिकार से उद्भुत होने वाले प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम, 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से संबंधित प्रकरण। 5–मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पंचायत लांजी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण। 6–आबकारी वृत्त **लांजी** एवं आरक्षी केन्द्र **लांजी एवं बहेला** में दर्ज आबकारी अधिनियम के प्रकरण। 7–तहसील लांजी के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र से उद्भुत वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद। 8–तहसील क्षेत्र लांजी से उद्भुत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित प्रकरण। 9–तहसील मुख्यालय लांजी के समस्त आरक्षी केन्द्रों एवं खान–खनिज विभाग के क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न खान–खनिज अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 10–तहसील मुख्यालय कटंगी के अंतर्गत जल (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से संबंधित प्रकरण।	

नोट :–**(1)**– जिला मुख्यालय बालाघाट में मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 से संबंधित आवेदन पत्र/प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे तथा तहसील मुख्यालयों में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 से संबंधित प्रस्तुत आवेदन पत्र/प्रतिवेदन के संबंध में विधिनुसार कार्यवाही करेंगे।

(2)– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।

(3)– स्थानांतरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियॉ प्राप्त होगी, जो उनके पूर्वाधिकारी को इस कार्य विभाजन पत्रक के आदेश से प्राप्त है।

(4)– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश, स्थानांतरण एवं उपस्थित नहीं रहने इत्यादि की दशा में आवश्यक दाण्डिक कार्य, रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा आदि अत्यावश्यक कार्य इस कार्य–विभाजन के साथ संलग्न **''परिशिष्ट–ब''** में उल्लेखित अनुसार प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जायेंगे,

प्रभार परिशिष्ट–ब के अनुसार क्रमशः रहेगा।

(5)– आरक्षी केन्द्र के रिमाण्ड प्रपत्र जो लम्बित है, उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में प्रेषित किया जावे।

(6)– सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में आवश्यक दाण्डिक कार्य निष्पादित करने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किए जायेंगे।

(7)– आकस्मिक अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

(8)– धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 के तहत संस्वीकृतियॉ एवं कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर या उपस्थित नहीं रहने पर क्रमशः द्वितीय प्रभारी एवं फिर पश्चात्वर्ती प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

(9)– मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश दाण्डिक के नियम 680 के मुताबिक जिस न्यायालय द्वारा सम्पत्ति के निराकरण के संबंध में आदेश पारित किया जाता है उस आदेश में स्पष्ट होना चाहिए कि सम्पत्ति किस व्यक्ति, किस संस्था या किस विभाग को वापस की जाना है उसका पूरा नाम, पता लिखे जिससे सम्पत्ति के निराकरण में असुविधा न हो।

(10)– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय–दृष्टान्त **<u>सुंदरभाई अम्बालाल देसाई विरूद्ध गुजरात राज्य एस.एल.पी. 2745/2002 में पारित निर्णय दिनांक 01 अक्टूबर 2002</u>** में दिए गए निर्देशों का पालन किया जावे। साथ ही उक्त न्याय–दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के मुताबिक मालखाना में जमा की जाने वाली सम्पत्ति जैसे लाठी, डण्डा, पत्थर, ईंट इत्यादि (सेशन ट्रायल मामलों की सम्पत्ति को छोड़कर) की फोटो खींचकर उसका आकार, प्रकार लम्बाई चौड़ाई अंकित कर उसका पंचनामा अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु अपने–अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को ज्ञापन भेजकर आदेश का पालन सुनिश्चित करावे।

(11)– गिरफ्तारी पत्र में अभियुक्त का छायाचित्र लगाने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश जारी किए जावे जिससे न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियुक्त की पहचान में कोई समस्या उत्पन्न न हों एवं एक्सीडेण्ट के मामले में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का छायाचित्र उतरवाया जाकर उसका पंचनामा बनाया जावे और अभियोग पत्र के साथ उसे पेश कराया जावे जिससे साक्ष्य के दौरान वाहन की पहचान हो सके। आवश्यकतानुसार एक से अधिक फोटो भी लिए जा सकते हैं, परन्तु सभी को पंचनामा का स्वरूप दिया जावे।

(12)– दिन–प्रतिदिन न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले न्यायालय शुल्क (टिकिट) एवं न्यायालय शुल्क स्टाम्प न्यायालय में पेश होने के पश्चात् उन्हें अविलम्ब विधिवत् निरस्त किया जावे जिससे उनका दुरूपयोग न हो सके।

(13)– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी विशेष या स्थानीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारिता या शक्ति का प्रयोग किया जाना है तो उक्त विधि के प्रावधान लागू होंगे। ऐसी स्थिति में धारा 364 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 325 द.प्र.सं.) के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को केवल वे ही मामले भेजे जा सकते हैं जिसमें दण्ड संबंधी अधिकारिता न हो।

(14)– पूर्व में रिक्त न्यायालय अथवा भविष्य में रिक्त होने वाली न्यायालय से संबंधित उत्पन्न होने वाले दाण्डिक कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में **श्री सौरभ गोस्वामी**, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील मुख्यालय वारासिवनी में **श्री नयन जैन**, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील मुख्यालय बैहर में **श्री संजय शाक्य,** न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील मुख्यालय कटंगी में **सुश्री शबाना खान**, न्या.मजि.प्र.श्रेणी एवं तहसील मुख्यालय लांजी में **श्री प्रीतम शाह,** न्या.मजि.प्र.श्रेणी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

(15)– न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय के अवकाश पर होने अथवा उनके स्थानांतरण होने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनका प्रभार जिला मुख्यालय पर उस समय पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर)** जो भी मुख्यालय पर उपस्थित हो, पर रहेगा जिसके द्वारा ग्राम न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।

(16)– परिशिष्ट–**(अ),** परिशिष्ट–**(ब)** एवं परिशिष्ट–**(स)** कार्य–विभाजन पत्रक के अंग रहेंगे।

<u>माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित</u>।

27/4/2026

(श्री प्राणेश कुमार प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला बालाघाट (म0प्र0)

(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला बालाघाट (म0प्र0)

—:: / / परिशिष्ट–अ / / ::—

न्यायिक दण्डाधिकारीगण निम्नानुसार धारा **183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (164 द.प्र.सं.)** के अधीन संस्वीकृतियॉ तथा कथन अभिलिखित करेंगे।

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
	—:: जिला मुख्यालय बालाघाट ::—	
1	**श्री नीरज कुमार सोनी,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **कोतवाली बालाघाट** से उत्पन्न (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो **न्या.मजि.प्र. श्रेणी** द्वारा विचारणीय हो, केवल उनको छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
2	**श्री सौरभ गोस्वामी,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **किरनापुर एवं अजाक** से उत्पन्न (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो **न्या.मजि.प्र. श्रेणी** द्वारा विचारणीय हो, केवल उनको छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
3	**सुश्री शालिनी भण्डारी,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **लांजी एवं बहेला** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
4	**श्री राज पाण्डेय,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **भरवेली एवं ग्रामीण थाना नवेगांव** से उत्पन्न (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो **न्या.मजि.प्र.श्रेणी** द्वारा विचारणीय हो, केवल उनको छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
5	**श्री अविनाश छारी,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **लामता एवं चांगोटोला** से उत्पन्न (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो **न्या.मजि.प्र. श्रेणी** द्वारा विचारणीय हो, केवल उनको छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
6	**श्री ईशान ढेंगुला,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **हट्टा एवं महिला थाना बालाघाट** से उत्पन्न (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो **न्या.मजि.प्र.श्रेणी** द्वारा विचारणीय हो, केवल उनको छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
7	**सुश्री निहारिका व्यास,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	जिला मुख्यालय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले **समस्त आरक्षी केन्द्रों** से महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रेणी द्वारा विचारणीय हों।
	—:: तहसील मुख्यालय वारासिवनी ::—	
1	**श्रीमती दिव्या सिंह,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **रामपायली** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
2	**श्री ऋषभ डॉनल सिंह,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **खैरलांजी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
3	**श्रीमती अंकिता जैन,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **वारासिवनी एवं लालबर्रा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
4	**सुश्री नेहा बाथरी,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	तहसील कटंगी के अंतर्गत आने वाले **आरक्षी केन्द्र तिरोड़ी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
5	**श्री नयन जैन,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	तहसील कटंगी के अंतर्गत आने वाले **आरक्षी केन्द्र कटंगी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में।
	—:: तहसील मुख्यालय बैहर ::—	
1	**श्रीमती शिवानी असाटी,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी** से उत्पन्न (महिलाओं के विरूद्ध उद्भुद आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रेणी द्वारा विचारणीय हो, केवल उनको छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरणों में।

2	**श्री संजय शाक्य,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **बैहर, बिरसा एवं मलाजखंड** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों में तथा तहसील मुख्यालय बैहर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से महिलाओं के विरूद्ध उद्भुत केवल वे आपराधिक प्रकरण जो न्या.मजि.प्र.श्रेणी द्वारा विचारणीय हो।

नोट :– उपरोक्तानुसार धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कथन लेखबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके अत्यावश्यक कार्य हेतु परिशिष्ट–ब में निर्धारित प्रभारी मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। यदि ऐसे प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कथन हेतु पेश होता है तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

27/4/2026
(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

अनुमोदित
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट (म.प्र.)

–::/ / परिशिष्ट–ब / /::–

न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्नानुसार कंडिका–1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में आवश्यक दाण्डिक कार्य कंडिका–2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा व कंडिका–2 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कंडिका–3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा कंडिका–3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कंडिका–4, कंडिका–5 व कंडिका–6 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा **आवश्यक दांडिक कार्य** किया जावेगा।

क	कंडिका–एक	कंडिका–दो	कंडिका–तीन	कंडिका–चार	कंडिका–पांच	कंडिका–छः
बालाघाट						
1	श्री मनीष कुमार सिंह CJM.Balaghat	श्री नीरज कुमार सोनी JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat
2	श्री नीरज कुमार सोनी JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat	सुश्री शालिनी भंडारी JMFC.Balaghat
3	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	सुश्री शालिनी भण्डारी JMFC.Balaghat	सुश्री निहारिका व्यास JMFC.Balaghat	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat
4	सुश्री शालिनी भंडारी JMFC.Balaghat	सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	श्री नीरज सोनी JMFC.Balaghat	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat
5	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat	सुश्री निहारिका व्यास JMFC.Balaghat	सुश्री शालिनी भण्डारी JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat	श्री नीरज कुमार सोनी JMFC.Balaghat
6	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat	सुश्री शालिनी भंडारी JMFC.Balaghat	सुश्री निहारिका व्यास JMFC.Balaghat
7	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	सुश्री शालिनी भंडारी JMFC.Balaghat	सुश्री निहारिका व्यास JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat
8	सुश्री निहारिका व्यास JMFC.Balaghat	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	सुश्री शालिनी भण्डारी JMFC.Balaghat	श्री नीरज सोनी JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat
वारासिवनी						
1	श्रीमती दिव्या सिंह, JMFC.Waraseoni	श्री ऋषभ डॉनल सिंह, JMFC.Waraseoni	श्रीमती अंकिता जैन JMFC.Waraseoni	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni	श्री नयन जैन JMFC.Waraseoni	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat
2	श्री ऋषभ डॉनल सिंह, JMFC.Waraseoni	श्रीमती दिव्या सिंह, JMFC.Waraseoni	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni	श्रीमती अंकिता जैन JMFC.Waraseoni	श्री नयन जैन JMFC.Waraseoni	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat
3	श्रीमती अंकिता जैन JMFC.Waraseoni	श्री नयन जैन JMFC.Waraseoni	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni	श्री ऋषभ डॉनल सिंह, JMFC.Waraseoni	श्रीमती दिव्या सिंह, JMFC.Waraseoni	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat
4	सुश्री नेहा बाथरी JMFC.Waraseoni	श्रीमती अंकिता जैन JMFC.Waraseoni	श्री ऋषभ डॉनल सिंह JMFC.Waraseoni	श्रीमती दिव्या सिंह, JMFC.Waraseoni	श्री नयन जैन JMFC.Waraseoni	सुश्री निहारिका व्यास JMFC.Balaghat
5	श्री नयन जैन JMFC.Waraseoni	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni	श्रीमती दिव्या सिंह, JMFC.Waraseoni	श्री ऋषभ डॉनल सिंह JMFC.Waraseoni	श्रीमती अंकिता जैन JMFC.Waraseoni	सुश्री शालिनी भंडारी JMFC.Balaghat
बैहर						
1	श्रीमती शिवानी असाटी, JMFC.Baihar.	श्री संजय शाक्य JMFC.Baihar.	सुश्री निहारिका व्यास JMFC.Balaghat	सुश्री शालिनी भंडारी JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat

2	श्री संजय शाक्य, JMFC.Baihar.	श्रीमती शिवानी असाटी, JMFC.Baihar.	श्री राज पाण्डेय JMFC.Balaghat	श्री अविनाश छारी JMFC.Balaghat	श्री नीरज कुमार सोनी JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat
कटंगी						
1	सुश्री शबाना खान JMFC Katangi	श्री नयन जैन JMFC.Waraseoni	श्रीमती अंकिता जैन JMFC.Waraseoni	श्रीमती दिव्या सिंह, JMFC.Waraseoni	सुश्री नेहा बाथरी, JMFC.Waraseoni	श्री ऋषभ डॉनल सिंह, JMFC.Waraseoni
लांजी						
1	श्री प्रीतम शाह JMFC Lanji.	श्री राज पाण्डे JMFC.Balaghat	श्री सौरभ गोस्वामी JMFC.Balaghat	श्री ईशान ढेंगुला JMFC.Balaghat	सुश्री निहारिका व्यास JMFC.Balaghat	श्री नीरज कुमार सोनी JMFC.Balaghat

नोट :–(1) यदि परिस्थितिवश कंडिका–1 में वर्णित पीठासीन अधिकारी एवं उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य हेतु नियत पीठासीन अधिकारीगण अवकाश पर रहते हैं तो उक्त न्यायालय का समस्त आवश्यक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्यालय में तत्समय कार्यरत् वरिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

27/4/2026
(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट (म.प्र.)

—:: / / परिशिष्ट—स / / ::—

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 52क के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित नार्कोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोफिक सब्सटेन्स (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के दिनांक 23.12.2022 से प्रभावशील होने के कारण उक्त संबंध में धारा 52क एन.डी. पी.एस. एक्ट के तहत नमूना की कार्यवाही के लिये नियम 8 के तहत न्यायिक दण्डाधिकारीगण निम्नानुसार धारा 52क एन0डी0पी0एस0 एक्ट के संबंध में निर्मित नवीन नियम के अंतर्गत नमूना कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
	—:: जिला मुख्यालय बालाघाट ::—	
1	**श्री नीरज कुमार सोनी** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **ग्रामीण नवेगांव** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन. डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
2	**श्री सौरभ गोस्वामी** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **किरनापुर** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी. पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
3	**सुश्री शालिनी भण्डारी** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **लामता** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी. पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
4	**श्री राज पाण्डेय** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **चांगोटोला एवं अजाक** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
5	**श्री अविनाश छारी** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **लांजी एवं बहेला** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
6	**सुश्री निहारिका व्यास** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **कोत0 बालाघाट** एवं **महिला थाना बालाघाट** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
7	**श्री ईशान ढेंगुला** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,बालाघाट	आरक्षी केन्द्र **हट्टा एवं भरवेली** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
	—:: तहसील मुख्यालय बैहर ::—	
1	**श्रीमती शिवानी असाटी** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **परसवाड़ा, रूपझर एवं गढ़ी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
2	**श्री संजय शाक्य** न्या0मजि0प्र0श्रेणी, बैहर	आरक्षी केन्द्र **बिरसा, बैहर एवं मलाजखंड** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रकरणों में।
	—:: तहसील मुख्यालय वारासिवनी ::—	
1	**श्रीमती दिव्या सिंह,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **रामपायली** से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।
2	**श्री ऋषभ डॉनल सिंह,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **वारासिवनी** से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।
3	**श्रीमती अंकिता जैन,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **खैरलांजी** से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।
4	**सुश्री नेहा बाथरी,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **लालबर्रा** से उत्पन्न समस्त एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।
5	**श्री नयन जैन,** न्या0मजि0प्र0श्रेणी,वारासिवनी	आरक्षी केन्द्र **कटंगी** एवं **तिरोड़ी** से उत्पन्न समस्त एन.डी. पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में।

नोट :— उपरोक्तानुसार धारा 52—क एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकृत मजिस्ट्रेट के लम्बे समय के अवकाश पर रहने की दशा में उक्त कार्यवाही अत्यावश्यक कार्य हेतु परिशिष्ट—ब में निर्धारित प्रभारी मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। यदि ऐसे प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कार्यवाही हेतु पेश होता है तो कमशः अगले प्रभारी कार्यवाही करेंगे।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालाघाट (म.प्र.)

27/4/2026
(मनीष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालाघाट(म0प्र0)